



न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री राजेश सुवालका (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :-43/2020 (2020/00095)

दर्ज दिनांक 17.03.2020

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

बालु उर्फ बाबु आत्मज कालु भील निवासी बोरणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. अम्बालाल आत्मज गुलाब भील
2. कमलादेवी पुत्री गुलाब भील
3. कैलाश आत्मज गुलाब भील
4. घनश्याम आत्मज गुलाब भील
5. तुलसीराम आत्मज गुलाब भील
6. बालुराम आत्मज गुलाबचन्द भील
7. सायरी बेवा गुलाब भील
8. हरिशंकर आत्मज गुलाब भील
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी:- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
श्री नृपेन्द्रसिंह चुण्डावत
प्रतिवादीगण सं0 01 से 08:- अनुपस्थित
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 24.09.2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 27.07.2021 को प्र0सं0 43/2020 प्राथमिक डिक्री किया जाकर कि ग्राम मैलुनीखेड़ा पटवार हल्का मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 5 में अंकित आराजी संख्या 2606/1 रकबा 0.30 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.30 हे0 भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पीडी/2019/329 दिनांक 24.09.2021 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

कि ग्राम मैलुनीखेड़ा पटवार हल्का मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 5 में अंकित आराजी संख्या 2606/1 रकबा 0.30 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.30 हे0 भूमि का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	बाबु पुत्र कालु भील सा बोराणा खातेदार	मैलुणी (खाता संख्या 5)	2606/3	0.15
		योग	1	0.15
2	1. अम्बालाल पुत्र गुलाब हि0 3/72 भील सा0 देह खातेदार 2. कैलाश पुत्र गुलाब हि0 5/72 भील सा0 देह खातेदार 3. घनश्याम पुत्र गुलाब हि0 5/72 भील सा0 देह खातेदार 4. नगरपालिका गंगापुर हि0 48/72 संस्था के लिए 5. बालुराम पि0 गुलाब हि0 3/72 भील सा0 देह खातेदार 6. मांगीलाल पि0 लालुराम हि0 3/72 भील सा0 गंगापुर खातेदार 7. हरिशंकर पुत्र गुलाब हि0 5/72 भील सा0 देह खातेदार	मैलुणी (खाता संख्या 5)	2606/1 2606/4	0.10 0.05
		योग	1	0.15

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



Pg
(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेन
(उप-खांड अधिकारी)
गंगापुर जिला, भीलवाड़ा जिला

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Pg
सहायक कलक्टर पदेन
उप-खांड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा जिला
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री राजेश सुवालका (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :-43/2020 (2020/00095)

दर्ज दिनांक 17.03.2020

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

बालु उर्फ बाबु आत्मज कालु भील निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. अम्बालाल आत्मज गुलाब भील
2. कमलादेवी पुत्री गुलाब भील
3. कैलाश आत्मज गुलाब भील
4. घनश्याम आत्मज गुलाब भील
5. तुलसीराम आत्मज गुलाब भील
6. बालुराम आत्मज गुलाबचन्द भील
7. सायरी बेवा गुलाब भील
8. हरिशंकर आत्मज गुलाब भील
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी:- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
प्रतिवादीगण सं0 01 से 08:- अनुपस्थित
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 24.09.2021

डिक्री दिनांक : 24.09.2021

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री पर्वतसिंह चुण्डावत एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	बाबु पुत्र कालु भील सा बोराणा खातेदार	मैलुणी (खाता संख्या 5)	2606/3	0.15
		योग	1	0.15
2	1. अम्बालाल पुत्र गुलाब हि0 3/72 भील सा0 देह खातेदार 2. कैलाश पुत्र गुलाब हि0 5/72 भील सा0 देह खातेदार 3. घनश्याम पुत्र गुलाब हि0 5/72 भील सा0 देह खातेदार 4. नगरपालिका गंगापुर हि0 48/72 संस्था के लिए 5. बालुराम पि0 गुलाब हि0 3/72 भील सा0 देह खातेदार 6. मांगीलाल पि0 लालुराम हि0 3/72 भील सा0 गंगापुर खातेदार 7. हरिशंकर पुत्र गुलाब हि0 5/72 भील सा0 देह खातेदार	मैलुणी (खाता संख्या 5)	2606/1 2606/4	0.10 0.05
		योग	1	0.15

Ray
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

नीजNil.....मुबलिग Nilबाबत् Nilखर्चा
इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.09.2021 को जारी किया गया



Ray
(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

Ray
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 2
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)